

कार्यालय जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

--0 आदेश 0--

क्रमांक/ 13029/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17 कांकेर,

दिनांक 13/12/2017

आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय 36 सी. ब्लाक - 2द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / पंचा./ शिक्षा/ 2017/287 नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों पर, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के पालन में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन पश्चात प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं दावा आपत्ति निराकरण के आधार पर तैयार मेरिट सूची अनुसार छानबीन समिति की अनुसंशा एवं सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन पश्चात अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों एवं अन्य वांछित अभिलेखों के सत्यापन उपरांत प्रक्रिया अनुसार अंतिम चयन सूची जारी की गई। विषयवार आरक्षण रोस्टर अनुसार चयनित अभ्यर्थी को व्याख्याता (पंचायत) के पद पर कॉलम नम्बर 09 में उल्लेखित प्रवर्ग से कॉलम नम्बर 05 में अंकित विषय के लिये कॉलम नम्बर 06 में दर्शित विद्यालय तथा कॉलम नम्बर 07 में अंकित विभाग के अन्तर्गत प्रतिमाह वेतनमान 5300-150-8300 तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते जो देय हो, अधोअंकित शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	अभ्यर्थियों के नाम	लिंग (म./पु.)	वर्ग जाति	विषय	पदस्थापना शाला का नाम	विभाग	बी.एड.	आरक्षण प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अनारक्षित								
1	दीपमाला साहू / श्री कमल कुमार साहू	म.	अपिव	जीवविज्ञान	शाउमावि कानापोड लखनपुरी, वि.ख.चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म
2	श्री नितीश कुमार साहू / श्री शिवकुमार साहू	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	शाउमावि कुरुटोला, वि.ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
3	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा / श्री रोहित कुमार वर्मा	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	शाउमावि शहवाड़ा, वि.ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
4	अनिता / सहसराम	म.	अपिव	जीवविज्ञान	शाउमावि सिदेसर, वि.ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म
5	स्वदेश कुमार मांझी / स्वपना मांझी	पु.	सामान्य	जीवविज्ञान	शाउमावि माटोली, वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
6	डामेश्वरी यादव / नारद यादव	म.	अपिव	जीवविज्ञान	शाउमावि नाथियानवागांव, वि.ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म
7	श्री शैलेश कुमार जायशवाल / श्री अशोक	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	हाई स्कूल दसपुर, वि.ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित दिव्यांग

5/12/17

8	श्री होमनलाल / श्री अशोक कुमार	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	शा.बा.उमावि सरोना, वि. ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित भू पू. सैनिक
अ.पि.व.								
9	श्री विष्णु कुमार / श्री इतवारी राम	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	हाई स्कूल मांदरी, वि.ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
10	श्री तिलोक चन्द / श्री विष्णुराम	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	हाई स्कूल चारभाटा, वि.ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
11	श्री युगल किशोर / श्री पोषण लाल	पु.	अपिव	जीवविज्ञान	शाउमावि सारवंडी, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
12	नम्रता देशमुख / श्री अशोक देशमुख	म.	अपिव	जीवविज्ञान	हाई स्कूल भैसाकन्हार डू, वि.ख.भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव म.
अ.जा.								
13	श्री सनी / श्री चन्द्र कुमार मेरसा	पु.	अजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि टेमा, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजा मु.
अ.ज.जा.								
14	ममता / श्री गिरधारी	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल बडेगौरी, वि.ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
15	श्री युक्तेश कुमारधुव / श्री चिन्ताराम धुव	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि देवीनवागांव, वि. ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
16	निलिमा / भुपेन्द्र मण्डावी	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल दवेना, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
17	श्री नरेन्द्र कुमार कंवर / श्री शिवराम सिंह	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि थानाबोडी, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
18	श्री भोजकुमार मानकर / श्री राम मानकर	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल साईमुण्डा, वि. ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
19	विनिता धुर्वे / श्री बलीराम धुर्वे	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल भैसाकन्हार क, वि.ख.भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
20	श्री मुक्तेश कुमार सूर्यवंशी / श्री लीला शंकर	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि कोडेकुसे, वि.ख. दुर्गकौदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
21	धनकुवर / श्री कोमल नायक	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि कोण्डे, वि.ख. दुर्गकौदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
22	रीना / श्री गजानंद	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि अमोडी, वि.ख. अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
23	गीता ठाकुर / पोषण कुमार ठाकुर	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि बोंदानार, वि.ख. अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
24	जितेन्द्र कुमार कोमरे / कुवर सिंह कोमरे	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि बान्दे, वि.ख. कोयलीबेडा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
25	श्री बैजूरामजी पावे / श्री रामजी पावे	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल बारदा, वि.ख. कोयलीबेडा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा

26	नम्रता / श्री रामकृष्ण	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि माटोली, वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
27	मनीषा / श्री भूलाराम	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल हरनगढ़, वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
28	खेमलता कंवर / श्री रामाधर कंवर	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल बड़पारा, वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
29	गीता / श्री थानसिंह	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	हाई स्कूल देवागांव, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.नहीं	अजजा दिव्यांग
30	वंदना / स्व श्री सी.आर. उईके	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि सरन्डी, वि.ख. अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा भू.पू. सै. पद के
31	कंवल राम नरेटी / सागर राम नरेटी	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	शाउमावि कुरेनार, वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा भू.पू. सै. पद के

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की जाति एवं प्रवर्ग से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र अजा/ अजजा/ पिवर्ग/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक होने के समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संबंधित संस्था एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

2. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

(फिटनेस सर्टिफिकेट) इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 29 में मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं माना जावेगा।

3. संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को 50 रूपये का स्टाम्प पेपर में खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना

होगा कि उनके द्वारा नियुक्ति से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाण पत्र एवं जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य है। यदि प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा अन्य जानकारी गलत पाये जाने पर बिना सूचना के उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

4. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) यथा स्थिति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के अन्तर्गत बने नियमों के अधीन नियम 10 के अन्तर्गत जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे।

5. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में पदांकित शाला में अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना होगा। किन्तु किसी भी स्थिति में पदांकित शाला के विरुद्ध परिवर्तन एवं अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

6. व्याख्याता (पंचायत) के कार्य एवं आचरण का आकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उनके कार्य/आचरण का आकलन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि की समय सीमा 05 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। फिर भी संबंधित की सेवाएं संतोषजनक नहीं पायी गयी तो सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

7. नियुक्ति व्याख्याता (पंचायत) की सेवाएं या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।

8. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) का पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया नियमानुसार संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित व्याख्याता पंचायत से अनुप्रमाणन फार्म भरवाकर कराया जावेगा। पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर संबंधित व्याख्याता (पंचायत) की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा ऐसे व्याख्याता (पंचायत) के द्वारा प्राप्त वेतन भत्ते की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जावेगी।

मि.
13.12.17

9. व्याख्याता (पंचायत) की ऊपर वर्णित सेवा शर्तों से भिन्न की शर्तें यथा स्थिति जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तों के समान ही होगी ।
10. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के संबंध में यदि यह जानकारी प्रमाणित होती है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 एवं विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करता है तो, उसकी सेवा बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।
11. नियुक्त व्याख्याता (पंचा.) जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उक्त शिक्षाकर्मों की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर द्वारा जारी भर्ती नियम 2012 की कंडिका 05 के प्रावधानानुसार

भूतपूर्व सैनिक के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण उसी प्रवर्ग के वरियता क्रम से उम्मीदवार चयनित किये गये हैं।

13. चयनित दिव्यांग उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड कांकेर से 01 माह के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।
14. नियमानुसार नियुक्ति हेतु जारी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
15. स्नातक स्तर पर एक विषय बाटनी या जुलोजी विषय के रूप में अध्ययन किया हुआ होना अनिवार्य है । अन्यथा की स्थिति में अपत्र माना जावेगा एवं सेवा समाप्त कर दी जावेगी ।
16. इस नियुक्ति आदेश के सरल क्रमांक 8,29..... के चयनित व्याख्याता (पंचायत) को नियुक्ति आदेश दिनांक से तीन वर्ष के भीतर बी.एड.उपाधि प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। अथवा छ.ग.शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2012 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत उम्मीदवार को दिनांक 26.12.2017 तक पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि के पश्चात उपस्थिति मान्य नहीं होगी तथा स्वमेव नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

8/12/17

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत

उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 13/12/2016

सू.क्रमांक/ 13030 /जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय , महानदी भवन नया रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ ।
3. संचालक, पंचायत, संचालनालय , इंद्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
6. मिशन संचालक,राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ ।
7. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
8. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
9. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त छ.ग. छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
11. सर्व अनुविभागीय अधिकारी,(रा.) कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
12. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना भानुप्रतापपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
13. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।

14. जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
15. जिला सेनानी, सैनिक कल्याण बोर्ड जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
16. आयुक्त दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़, जिला पंचायत परिसर, दूर्ग छ0ग0
17. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
18. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला कार्यालय जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आनलाईन अपलोड करने हेतु ।
19. जिला जनसंपर्क अधिकारी, को सूचनार्थ । कृपया समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु ।
20. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकोंदल/भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
21. सर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी आदिवासी विकास खण्ड कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकोंदल/ भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।
22. प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूलजिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा संस्था में शिक्षा पंचायत संवर्ग के भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति के संबंध में जानकारी संबंधित विभाग/जिला प्रमुख एवं इस कार्यालय को अवगत करावें ।
23. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को देने के पश्चात पदांकित शाला में उपस्थिति देंगे ।
24. गार्ड फाईल (कार्यालयीन स्थापना शाखा) जिला पंचायत कांकेर ।
25. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

13.12.17

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

--0 आदेश 0--

क्रमांक/13027/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17

कांकेर, दिनांक 13/12/2017

आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय 36 सी. ब्लाक - 2द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / पंचा./ शिक्षा/ 2017/287 नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों पर, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंचाविधि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के पालन में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन पश्चात प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं दावा आपत्ति निराकरण के आधार पर तैयार मेरीट सूची अनुसार छानबीन समिति की अनुसंशा एवं सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन पश्चात अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों एवं अन्य वांछित अभिलेखों के सत्यापन उपरांत प्रक्रिया अनुसार अंतिम चयन सूची जारी की गई। विषयवार आरक्षण रोस्टर अनुसार चयनित अभ्यर्थी को व्याख्याता (पंचायत) के पद पर कॉलम नम्बर 09 में उल्लेखित प्रवर्ग से कॉलम नम्बर 05 में अंकित विषय के लिये कॉलम नम्बर 06 में दर्शित विद्यालय तथा कॉलम नम्बर 07 में अंकित विभाग के अन्तर्गत प्रतिमाह वेतनमान 5300-150-8300 तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्तें जो देय हों, अधोअंकित शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	अभ्यर्थियों के नाम	लिंग (म./पु.)	वर्ग जाति	विषय	पदस्थापना शाला का नाम	विभाग	बी.एड.	आरक्षण प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अनारक्षित								
1	श्री कौशिक कुमार/ श्री प्रेमशंकर	पु.	अपिव	भौतिकी	शाउमावि आवंरी, वि. ख.चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
2	श्री सोहन लाल /श्री कैलाश कुमार	पु.	अपिव	भौतिकी	शाउमावि कुरुटोला, वि.ख.चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
3	श्री भोजपाल/ श्री मिलाप राम	पु.	अपिव	भौतिकी	शाउमावि गोलकुम्हडा, वि.ख.चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
4	रेणुका देवांगन/ पुरुषोत्तम लाल	म.	सामान्य	भौतिकी	शाउमावि किशनपुरी, वि.ख.चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.
5	स्वर्णा सोनी / श्री रामशरण सोनी	म.	अपिव	भौतिकी	शाउमावि सिंगारभाट, वि.ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.
6	श्री तुषार मण्डल / श्री किर्तन मण्डल	पु.	सामान्य	भौतिकी	शाउमावि आतुरगांव, वि.ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित भू. पू.सै. पद के
अपिव								
7	श्री मोहित कुमार / श्री रमेश कुमार	पु.	अपिव	भौतिकी	शाउमावि पोटगांव, वि. ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव मु.

13.12.17

8	श्री खिलावन सिंह / श्री भीखम सिंह	पु.	अपिव	भौतिकी	शा.बा.उमावि सरोना, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव मु.
9	प्रियंका / श्री परसादी राम	म.	अपिव	भौतिकी	शाउमावि आसुलखार, वि.ख.भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव म.
10	वोमेश्वरी सिंहा / धर्ममूराम सिंहा	म.	अपिव	भौतिकी	शाउमावि पोड़गांव, वि.ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव मु.
अजजा								
11	उर्वशी गंनवारे / श्री दयालु राम / गनवारे	म.	अजजा	भौतिकी	शाउमावि बागोड़ार, वि.ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
12	श्री प्रदीप कुमार / श्री सदासिंह	पु.	अजजा	भौतिकी	शाउमावि बासनवाही, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा मु.
13	दीपिका ठाकुर / श्री श्याम लाल ठाकुर	म.	अजजा	भौतिकी	शाउमावि अमोड़ा, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.
14	जयंती राज / श्री गंगासिंह राज	म.	अजजा	भौतिकी	शाउमावि जामगांव, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.
15	मोनिषा मरई / रेखलाल मरई	म.	अजजा	भौतिकी	शाउमावि कोरर, वि.ख.भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.
16	दिव्या ठाकुर / श्री पुरन कुमार ठाकुर	म.	अजजा	भौतिकी	शाउमावि बोन्दानार, वि.ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.
17	दामिनी ध्रुव / श्री दीनूराम ध्रुव	म.	अजजा	भौतिकी	शाउमावि दुर्गूकोदल वि.ख.दुर्गूकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा मु.
18	श्री मेहर सिंह / श्री बैसाखूराम	पु.	अजजा	भौतिकी	शाउमावि कोड़ेकुर्से, वि.ख.दुर्गूकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा मु.
19	श्री माहेश्वर / श्री जालम सिंह	पु.	अजजा	भौतिकी	शाउमावि ऐसेबेड़ा, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा मु.
20	विदेश्वरी / श्री जयंत कुमार	म.	अजजा	भौतिकी	शाउमावि बान्दे, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा मु.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की जाति एवं प्रवर्ग से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र अजा/ अजजा/ पिवर्ग/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक होने के समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संबंधित संस्था एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
2. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 29 में मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं माना जावेगा।
3. संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा नियुक्ति से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाण पत्र एवं जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य है। यदि प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा अन्य जानकारी गलत पाये जाने पर बिना सूचना के उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
4. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) यथा स्थिति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के अन्तर्गत बने नियमों के अधीन नियम 10 के अन्तर्गत जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे।

नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में पदांकित शाला में अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना होगा। किन्तु किसी भी स्थिति में पदांकित शाला के विरुद्ध परिवर्तन एवं अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

6. व्याख्याता (पंचायत) के कार्य एवं आचरण का आकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उनके कार्य/आचरण का आंकलन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि की समय सीमा 05 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। फिर भी संबंधित की सेवाएं संतोषजनक नहीं पायी गयी तो सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
7. नियुक्ति व्याख्याता (पंचायत) की सेवाएं या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
8. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) का पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया नियमानुसार संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित व्याख्याता पंचायत से अनुप्रमाणन फार्म भरवाकर कराया जावेगा। पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर संबंधित व्याख्याता (पंचायत) की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा ऐसे व्याख्याता (पंचायत) के द्वारा प्राप्त वेतन भत्ते की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जावेगी।
9. व्याख्याता (पंचायत) की ऊपर वर्णित सेवा शर्तों से भिन्न की शर्तें यथा स्थिति जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तों के समान ही होगी।
10. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के संबंध में यदि यह जानकारी प्रमाणित होती है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 एवं विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करता है तो, उसकी सेवा बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
11. नियुक्त व्याख्याता (पंच.) जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उक्त शिक्षाकर्मी की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर द्वारा जारी भर्ती नियम 2012 की कंडिका 05 के प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण उसी प्रवर्ग के वरियता क्रम से उम्मीदवार चयनित किये गये हैं।
13. चयनित दिव्यांग उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड कांकेर से 01 माह के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।
16. नियमानुसार नियुक्ति हेतु जारी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
17. इस नियुक्ति आदेश के सरल क्रमांक ...~~12.12.20~~... के चयनित व्याख्याता (पंचायत) को नियुक्ति आदेश दिनांक से तीन वर्ष के भीतर बी.एड.उपाधि प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। अथवा छ.ग.शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2012 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत उम्मीदवार को दिनांक 26.12.2017 तक पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि के पश्चात उपस्थिति मान्य नहीं होगी तथा स्वमेव नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

दिनांक
13.12.17

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत

उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 13/12/2

मांक/13028/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, पंचायत, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
 7. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
 8. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
 9. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
 10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त छ.ग. छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
 11. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
 12. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना भानुप्रतापपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
 13. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
 14. जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
 15. जिला सेनानी, सैनिक कल्याण बोर्ड जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
 16. आयुक्त दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़, जिला पंचायत परिसर, दूर्ग छ0ग0
 17. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
 18. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला कार्यालय जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आनलाईन अपलोड करने हेतु ।
 19. जिला जनसंपर्क अधिकारी, को सूचनार्थ । कृपया समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु ।
 20. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकौंदल/भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
 21. सर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी आदिवासी विकास खण्ड कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकौंदल/ भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।
 22. प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूलजिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा संस्था में शिक्षा पंचायत संवर्ग के भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति के संबंध में जानकारी संबंधित विभाग/जिला प्रमुख एवं इस कार्यालय को अवगत करावें ।
 23. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को देने के पश्चात् पदांकित शाला में उपस्थिति देंगे ।
 24. गार्ड फाईल (कार्यालयीन स्थापना शाखा) जिला पंचायत कांकेर ।
 25. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।


 13.12.17
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत
 उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

--0 आदेश 0--

क्रमांक/13025/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17 कांकेर,

दिनांक 13/12/2017

आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय 36 सी. ब्लाक - 2द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / पंचा./ शिक्षा/ 2017/287 नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों पर, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंप्राविवि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के पालन में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन पश्चात प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं दावा आपत्ति निराकरण के आधार पर तैयार मेरीट सूची अनुसार छानबीन समिति की अनुसंशा एवं सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन पश्चात अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों एवं अन्य वांछित अभिलेखों के सत्यापन उपरांत प्रक्रिया अनुसार अंतिम चयन सूची जारी की गई। विषयवार आरक्षण रोस्टर अनुसार चयनित अभ्यर्थी को व्याख्याता (पंचायत) के पद पर कॉलम नम्बर 09 में उल्लेखित प्रवर्ग से कॉलम नम्बर 05 में अंकित विषय के लिये कॉलम नम्बर 06 में दर्शित विद्यालय तथा कॉलम नम्बर 07 में अंकित विभाग के अन्तर्गत प्रतिमाह वेतनमान 5300-150-8300 तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्तों जो देय हो, अधोअंकित शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	अभ्यर्थियों के नाम	लिंग (म./पु.)	वर्ग जाति	विषय	पदस्थापना शाला का नाम	विभाग	बी.एड.	आरक्षण प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अनारक्षित								
1	श्री गोपाल राम साहू / तोमन लाल साहू	पु.	अपिव	रसायन	शाउमावि किशनपुरी, वि.ख.चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित मु.
2	दीक्षा साहू / श्री विशाल साहू	म.	अपिव	रसायन	शाउमावि आंवरी, वि.ख.चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.
3	श्री लिखेन्द्र कुमार / श्री राजेन्द्र कुमार	पु.	अपिव	रसायन	शाउमावि चंदेली, वि.ख.चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित मु.
4	श्री सुजय कुमार साहा / श्री अजित	पु.	सामान्य	रसायन	शाउमावि आतुरगांव, वि.ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित मु.
5	श्री रामचन्द्र साहू / श्री कचरुराम साहू	पु.	अपिव	रसायन	शाउमावि सुरही, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित मु.
6	भूमिका / श्री चैतन्य साहू	म.	अपिव	रसायन	शा.क.उमावि सरोना, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.
	सुमन साहू / श्री लालजी साहू	म.	अपिव	रसायन	शाउमावि किशनपुरी, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.

6/12/17

8	हैप्पी वर्मा / श्री पुरुषोत्तम वर्मा	पु.	अपिव	रसायन	शाउमावि भर्सीटोला, वि. ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अनारक्षित दिव्यांग
9	श्री निमाई पाल / श्री निवाश पाल	पु.	सामान्य	रसायन	शाउमावि कोरर, वि. ख. भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित भू.पू. सै. के विरुद्ध
अन्य पिछड़ा वर्ग								
10	श्री चमन लाल / श्री बुधरराम	पु.	अपिव	रसायन	शाउमावि मोदे, वि. ख. कांकर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव मु
11	श्री टिकेश कुमार / श्री तेजराम	पु.	अपिव	रसायन	शाउमावि सारवंडी, वि. ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव मु
12	श्री विजय शंकर पटेल / श्री थाडाराम	पु.	अपिव	रसायन	शाउमावि आसुलखार, वि. ख. भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव मु
13	सत्यभामा वर्मा / श्री दुष्यंत वर्मा	म.	अपिव	रसायन	शाउमावि कोण्डे, वि. ख. दुर्गकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव म.
14	श्री उदेराम / श्री मंगलू राम वर्मा	पु.	अपिव	रसायन	शाउमावि कोलर, वि. ख. अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव भू.पू. सै के विरुद्ध
अनुसूचित जाति								
15	श्री प्रदीप कुमार कोशले / ईश्वरी प्रसाद कोशले	पु.	अजा	रसायन	शाउमावि भनसुली, वि. ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजा मु.
अनुसूचित जनजाति								
16	श्री संतोष कुमार रावटे / श्री उमैदीराम रावटे	पु.	अजजा	रसायन	शाउमावि कुरालटेमली, वि. ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा मु.
17	श्री कल्याण सिंह कोमरे / श्री उजियार सिंह कोमरे	पु.	अजजा	रसायन	शाउमावि थानाबोड़ी, वि. ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा मु.
18	कल्पना कुजूर / श्री जार्ज कुजूर	म.	अजजा	रसायन	शाउमावि कुल्हाडकटटा, वि. ख. भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
19	श्री मुकेन्द्र सिंह भण्डारी / बहुरसिंह भण्डारी	पु.	अजजा	रसायन	शाउमावि दमकसा, वि. ख. दुर्गकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा मु.
20	रुबी खलखो / श्री देवेन्द्र खलखो	म.	अजजा	रसायन	शाउमावि लोहत्तर, वि. ख. दुर्गकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
21	श्री गिरधारी लाल टेकाम / माहर सिंह टेकाम	पु.	अजजा	रसायन	शाउमावि ताड़ोकी, वि. ख. अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
22	श्री रोमन लाल / श्री सन्तुराम रावटे	पु.	अजजा	रसायन	शाउमावि भैसासुर, वि. ख. अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा
23	सुष्मा शोरी / बीशो शोरी	म.	अजजा	रसायन	शाउमावि कोदागांव, वि. ख. अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.
24	मिनाक्षी भगत / आर.आर. भगत	म.	अजजा	रसायन	शाउमावि हाटकोदल, वि. ख. दुर्गकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.

23
13.12.17

25	जानवी नाग / भोजराज नाग	म.	अजजा	रसायन	शाउमावि पोड़गांव, वि. ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.
26	युवराज /श्री अशोक	पु.	अजजा	रसायन	शाउमावि बोंदानार, वि. ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा
27	प्रिती लकड़ा / प्रकाश लकड़ा	म.	अजजा	रसायन	शाउमावि मायापुर, वि. ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म
28	नीतिन कुमार ध्रुव / श्री केशर भाई ध्रुव	पु.	अजजा	रसायन	शाउमावि मरोड़ा, वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा
29	अंजली ध्रुव / श्री गेंदलाल ध्रुव	म.	अजजा	रसायन	शाउमावि संगम, वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा
30	श्री श्याम लाल कवर /श्री रामकुमार कवर	पु.	अजजा	रसायन	शाउमावि कोयलीबेड़ा, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा
31	श्री दक्षिणा राम /श्री विजय सिंह	पु.	अजजा	रसायन	शाउमावि परतापुर, वि. ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा
32	श्री सुकमन नेताम / श्री ठाकुर राम	पु.	अजजा	रसायन	शाउमावि इरपानार, वि. ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा भू.पू. सै. के विरुद्ध
33	दिव्या अंकिता रोहलेदार/ श्री अमृतलाल	म.	अजजा	रसायन	हाई स्कूल पाड़ेंगा, वि. ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा भू.पू. सै. के विरुद्ध

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की जाति एवं प्रवर्ग से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र अजा/ अजजा/ पिवर्ग/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक होने के समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संबंधित संस्था एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
2. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 29 में मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं माना जावेगा।
3. संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा नियुक्ति से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाण पत्र एवं जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य है। यदि प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा अन्य जानकारी गलत पाये जाने पर बिना सूचना के उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
4. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) यथा स्थिति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के अन्तर्गत बने नियमों के अधीन नियम 10 के अन्तर्गत जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे।
5. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में पदांकित शाला में अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना होगा। किन्तु किसी भी स्थिति में पदांकित शाला के विरुद्ध परिवर्तन एवं अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

6. व्याख्याता (पंचायत) के कार्य एवं आचरण का आकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उनके कार्य/आचरण का आकलन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि की समय सीमा 05 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी । फिर भी संबंधित की सेवाएं संतोषजनक नहीं पायी गयी तो सेवाएं समाप्त की जा सकेगी ।
7. नियुक्ति व्याख्याता (पंचायत) की सेवाएं या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
8. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) का पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया नियमानुसार संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित व्याख्याता पंचायत से अनुप्रमाणन फार्म भरवाकर कराया जावेगा। पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर संबंधित व्याख्याता (पंचायत) की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा ऐसे व्याख्याता (पंचायत) के द्वारा प्राप्त वेतन भत्ते की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जावेगी।
9. व्याख्याता (पंचायत) की ऊपर वर्णित सेवा शर्तों से भिन्न की शर्तें यथा स्थिति जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तों के समान ही होगी ।
10. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के संबंध में यदि यह जानकारी प्रमाणित होती है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 एवं विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करता है तो, उसकी सेवा बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।
11. नियुक्त व्याख्याता (पंचा.) जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उक्त शिक्षाकर्मों की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर द्वारा जारी भर्ती नियम 2012 की कंडिका 05 के प्रावधानानुसार

भूतपूर्व सैनिक के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण उसी प्रवर्ग के वरियता क्रम से उम्मीदवार चयनित किये गये हैं ।

13. चयनित दिव्यांग उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड कांकेर से 01 माह के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।
14. नियमानुसार नियुक्ति हेतु जारी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
15. इस नियुक्ति आदेश के सरल क्रमांक **8,22.से.33**..... के चयनित व्याख्याता (पंचायत) को नियुक्ति आदेश दिनांक से तीन वर्ष के भीतर बी.एड.उपाधि प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। अथवा छ.ग.शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2012 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत उम्मीदवार को दिनांक **26** .12.2017 तक पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि के पश्चात उपस्थिति मान्य नहीं होगी तथा स्वमेव नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

सुनी
13.12.17

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)


कांकेर, दिनांक 13/12/2016

[क्रमांक/ 13026 /जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय , महानदी भवन नया रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ ।
3. संचालक, पंचायत, संचालनालय , इंद्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।

5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ ।
7. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
8. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
9. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त छ.ग. छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
11. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
12. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना भानुप्रतापपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
13. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
15. जिला सेनानी, सैनिक कल्याण बोर्ड जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
16. आयुक्त दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़, जिला पंचायत परिसर, दूर्ग छ0ग0
17. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
18. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला कार्यालय जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आनलाईन अपलोड करने हेतु ।
19. जिला जनसंपर्क अधिकारी, को सूचनार्थ । कृपया समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु ।
20. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गूकोंदल/भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
21. सर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी आदिवासी विकास खण्ड कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गूकोंदल/ भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।
22. प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूलजिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा संस्था में शिक्षा पंचायत संवर्ग के भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति के संबंध में जानकारी संबंधित विभाग/जिला प्रमुख एवं इस कार्यालय को अवगत करावें ।
23. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को देने के पश्चात पदांकित शाला में उपस्थिति देंगे ।
24. गार्ड फाईल (कार्यालयीन स्थापना शाखा) जिला पंचायत कांकेर ।
25. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत
 उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

--0 आदेश 0--

क्रमांक/13021/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17 कांकेर,

दिनांक 13/12/2017

आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय 36 सी. ब्लाक - 2द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / पंचा./ शिक्षा/ 2017/287 नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों पर, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के पालन में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन पश्चात प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं दावा आपत्ति निराकरण के आधार पर तैयार मेरीट सूची अनुसार छानबीन समिति की अनुसंशा एवं सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन पश्चात अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों एवं अन्य वांछित अभिलेखों के सत्यापन उपरांत प्रक्रिया अनुसार अंतिम चयन सूची जारी की गई। विषयवार आरक्षण रोस्टर अनुसार चयनित अभ्यर्थी को व्याख्याता (पंचायत) के पद पर कॉलम नम्बर 09 में उल्लेखित प्रवर्ग से कॉलम नम्बर 05 में अंकित विषय के लिये कॉलम नम्बर 06 में दर्शित विद्यालय तथा कॉलम नम्बर 07 में अंकित विभाग के अन्तर्गत प्रतिमाह वेतनमान 5300-150-8300 तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्तों जो देय हो, अधोअंकित शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	अभ्यर्थियों के नाम	लिंग (म./पु.)	वर्ग जाति	विषय	पदस्थापना शाला का नाम	विभाग	बी.एड.	आरक्षण प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अनारक्षित								
1	श्री गोपाल सिंह साहू / श्री उमैन्द्र राम साहू	पु.	अपिव	गणित	शाउमावि सिदेसर, वि.ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
2	श्री आलोक गुप्ता / श्री मदन गुप्ता	पु.	सामान्य	गणित	हाई स्कूल बरदेभाटा, वि.ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
3	वैशाली चन्द्राकर / श्री शैलेश चन्द्राकर	म.	अपिव	गणित	शाउमावि लिलेझर, वि.ख.चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.
4	अन्नु कुमारी / श्री ओमप्रकाश देवांगन	म.	अपिव	गणित	हाई स्कूल मरकाटोला, वि.ख.चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.
5	तिलोचन / अरूण कुमार	पु.	सामान्य	गणित	शा.बा.उमावि सरोना, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
	श्री अफजल अली / श्री सरवर अली	पु.	सामान्य	गणित	शा.बा.उमावि अभनपुर, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित

21/12/17

	श्री रंजीत कुमार / श्री रामानंद	पु.	अपिव	गणित	शाउमावि देवीनवागांव, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
8	श्री सतदल बाला / श्री रतन बाला	पु.	सामान्य	गणित	शाउमावि चंवाड़, वि. ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
9	लक्ष्मी / तरुण डडसेना	म.	अपिव	गणित	शाउमावि सुरही, वि. ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.
10	श्री प्रमोद कुमार / श्री धानसिंह	पु.	अपिव	गणित	शाउमावि सारवंड़ी, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित भू.पू.सै.पद के विरुद्ध

अन्य पिछड़ा वर्ग

11	श्री उमाकांत / श्री अंजुलाल साहू	पु.	अपिव	गणित	शाउमावि किशनपुरी, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव मु.
12	श्री वेद प्रसाद निषाद / श्री बालाराम निषाद	पु.	अपिव	गणित	शाउमावि कोलर, वि. ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव मु.
13	श्री प्रकाश चन्द्र साहू/ श्री मानसिंह	पु.	अपिव	गणित	हाई स्कूल आमाकोट, वि.ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव मु.
14	रीना साहू / श्री नगेन्द्र कुमार साहू	म.	अपिव	गणित	शाउमावि बड़गांव, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव म.
15	अंकिता देशमुख/ आत्मा राम देशमुख	म.	अपिव	गणित	शाउमावि गोण्डाहुर, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव म.
16	प्रफूल्लकुमार नाग/ धनसिंह नाग	पु.	अपिव	गणित	शाउमावि कोयलीबेड़ा, वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव भू.पू.सै.पद के विरुद्ध

अनुसूचित जाति

17	श्री किर्तन राम सांगिया / श्री गंगूराम सांगिया	पु.	अजा.	गणित	शाउमावि लेण्डारा, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजा मु.
18	केशरी / श्री भगवत चतुर्वेदी	म.	अजा.	गणित	शाउमावि तुमसनार, वि.ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजा. म.

अनुसूचित जनजाति

19	श्री मुकेश कुमार भुरिया / श्री सोहन लाल भूरिया	पु.	अजजा म.	गणित	शाउमावि भनसुली, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा मु.
20	श्री पंचराम करपल / श्री रामाधीन करपाल	पु.	अजजा	गणित	शाउमावि दमकसा, वि.ख.दुर्गकौंदल	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा मु.
	श्री प्रवीण कुमार प्रधान / श्री साशिव प्रधान	पु.	अजजा	गणित	हाई स्कूल मावलीपारा, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा मु.

21
13.12.17

2	शांती ठाकुर / श्री बैजनाथ ठाकुर	म.	अजजा	गणित	शाउमावि दुर्गुकोदल, वि.ख.दुर्गुकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.
23	प्रीति / श्री देवलाल	म.	अजजा	गणित	हाई स्कूल नागरवेड़ा, वि.ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.
24	श्री अजय कुमार कुजाम / श्री सियाराम कुजाम	पु.	अजजा	गणित	हाई स्कूल बारदा, वि.ख.कोयलीवेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा मु.
25	श्री मनोज कुमार / श्री गोपीराम	पु.	अजजा	गणित	शाउमावि मरोड़ा, वि.ख.कोयलीवेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा मु.
26	सुषमा उईके / श्री चिरामन उईके	म.	अजजा	गणित	शाउमावि मायापुर, वि.ख.कोयलीवेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.
27	प्रतिभा ठाकुर / भीषम सिंह ठाकुर	म.	अजजा	गणित	शाउमावि परतापुर, वि.ख.कोयलीवेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.
28	पूनम / श्री के.डी. धरेन्द्र	पु.	अजजा	गणित	हाई स्कूल सुलंगी, वि.ख.कोयलीवेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा मु.
29	लीना नेताम / श्री भार्गव सिंह नेताम	म.	अजजा	गणित	हाई स्कूल सिकसोड़, वि.ख.कोयलीवेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.
30	श्री रूप नारायण कावडे / श्री दयाल राम कावडे	पु.	अजजा	गणित	शाउमावि कुरेनार, वि.ख.कोयलीवेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा मु.
31	ज्योति सिंह / श्री आसकरण सिंह नेताम	म.	अजजा	गणित	शाउमावि उदनपुर, वि.ख.कोयलीवेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की जाति एवं प्रवर्ग से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र अजा/ अजजा/ पिवर्ग/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक होने के समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संबंधित संस्था एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
2. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 29 में मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं माना जावेगा।
3. संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा नियुक्ति से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाण पत्र एवं जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य है। यदि प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा अन्य जानकारी गलत पाये जाने पर बिना सूचना के उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
4. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) यथा स्थिति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के अन्तर्गत बने नियमों के अधीन नियम 10 के अन्तर्गत जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे।
5. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में पदांकित शाला में अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना होगा। किन्तु किसी भी स्थिति में पदांकित शाला के विरुद्ध परिवर्तन एवं अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

8/11/17

- व्याख्याता (पंचायत) के कार्य एवं आचरण का आकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उनके कार्य/आचरण का आंकलन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि की समय सीमा 05 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी । फिर भी संबंधित की सेवाएं संतोषजनक नहीं पायी गयी तो सेवाएं समाप्त की जा सकेगी ।
7. नियुक्ति व्याख्याता (पंचायत) की सेवाएं या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
 8. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) का पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया नियमानुसार संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित व्याख्याता पंचायत से अनुप्रमाणन फार्म भरवाकर कराया जावेगा। पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर संबंधित व्याख्याता (पंचायत) की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा ऐसे व्याख्याता (पंचायत) के द्वारा प्राप्त वेतन भत्ते की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जावेगी।
 9. व्याख्याता (पंचायत) की ऊपर वर्णित सेवा शर्तों से भिन्न की शर्तें यथा स्थिति जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तों के समान ही होगी ।
 10. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के संबंध में यदि यह जानकारी प्रमाणित होती है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 एवं विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करता है तो, उसकी सेवा बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।
 11. नियुक्त व्याख्याता (पंच.) जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उक्त शिक्षाकर्मी की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
 12. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर द्वारा जारी भर्ती नियम 2012 की कडिका 05 के प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण उसी प्रवर्ग के वरियता क्रम से उम्मीदवार चयनित किये गये हैं।
 13. चयनित दिव्यांग उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड कांकेर से 01 माह के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।
 14. नियमानुसार नियुक्ति हेतु जारी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
 15. इस नियुक्ति आदेश के सरल क्रमांक 17,18,20,21,से 31 तक..... के चयनित व्याख्याता (पंचायत) को नियुक्ति आदेश दिनांक से तीन वर्ष के भीतर बी.एड.उपाधि प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। अथवा छ.ग.शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2012 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत उम्मीदवार को दिनांक 26.12.2017 तक पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि के पश्चात उपस्थिति मान्य नहीं होगी तथा स्वमेव नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

13.12.17

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत

उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)


कांकेर, दिनांक 13/12/2016

पृ.क्रमांक/13022/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ ।
3. संचालक, पंचायत, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ ।
7. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
8. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।

9. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त छ.ग. छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
11. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
12. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना भानुप्रतापपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
13. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
15. जिला सेनानी, सैनिक कल्याण बोर्ड जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
16. आयुक्त दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़, जिला पंचायत परिसर, दूर्ग छ0ग0
17. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
18. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला कार्यालय जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आनलाईन अपलोड करने हेतु ।
19. जिला जनसंपर्क अधिकारी, को सूचनार्थ। कृपया समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु।
20. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकोदल/भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
21. सर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी आदिवासी विकास खण्ड कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकोदल/ भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।
22. प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूलजिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा संस्था में शिक्षा पंचायत संवर्ग के भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति के संबंध में जानकारी संबंधित विभाग/जिला प्रमुख एवं इस कार्यालय को अवगत करावें ।
23. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को देने के पश्चात् पदांकित शाला में उपस्थिति देंगे ।
24. गार्ड फाईल (कार्यालयीन स्थापना शाखा) जिला पंचायत कांकेर ।
25. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत
 उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

--0 आदेश 0--

क्रमांक/13019/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17 कांकेर,

दिनांक 13/12/2017

आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय 36 सी. ब्लाक - 2द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / पंचा./ शिक्षा/ 2017/287 नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों पर, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंचावि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के पालन में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन पश्चात प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं दावा आपत्ति निराकरण के आधार पर तैयार मेरीट सूची अनुसार छानबीन समिति की अनुसंशा एवं सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन पश्चात अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों एवं अन्य वांछित अभिलेखों के सत्यापन उपरांत प्रक्रिया अनुसार अंतिम चयन सूची जारी की गई। विषयवार आरक्षण रोस्टर अनुसार चयनित अभ्यर्थी को व्याख्याता (पंचायत) के पद पर कॉलम नम्बर 09 में उल्लेखित प्रवर्ग से कॉलम नम्बर 05 में अंकित विषय के लिये कॉलम नम्बर 06 में दर्शित विद्यालय तथा कॉलम नम्बर 07 में अंकित विभाग के अन्तर्गत प्रतिमाह वेतनमान 5300-150-8300 तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्तों जो देय हो, अधोअंकित शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	अभ्यर्थियों के नाम	लिंग (म./पु.)	वर्ग जाति	विषय	पदस्थापना शाला का नाम	विभाग	बी.एड.	आरक्षण प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अनारक्षित								
1	श्री तानसेन साहू / श्री नारद राम साहू	पु.	अपिव	अंग्रेजी	शाउमावि किशनपुरी, वि.ख.चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित मु.
2	श्री नरेन्द्र कुमार साहू / श्री लोचन प्रसाद साहू	पु.	अपिव	अंग्रेजी	शाउमावि पोटागांव, वि.ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित मु.
3	शैलजा सिंह परिहार / श्री जयराज सिंह	म.	अपिव	अंग्रेजी	हाई स्कूल कोटागावनीचे, वि.ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.
4	बबीता किशोर / श्री एम. आर. किशोर	म.	अपिव	अंग्रेजी	शाउमावि उमरादाह, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.
5	खेमलता / श्री राधा किशन	म.	अपिव	अंग्रेजी	शाउमावि बासनवाही, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.
6	दिव्या नाहरा / श्री प्रकाश नाहरा	म.	सामान्य	अंग्रेजी	शाउमावि करप, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
7	श्रीकांत सिंहा / श्री लतखोर	पु.	अपिव	अंग्रेजी	शाउमावि देवीनवागांव, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
8	ममता चौहान / श्री के. पी.सिंह चौहान	पु.	सामान्य	अंग्रेजी	शाउमावि देवगांव, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित दिव्यांग

BCC 8
13.12.17

सरिता काब्रा / श्री चन्द्रेश राठी	म.	सामान्य	अंग्रेजी	शाउमावि किशनपुरी, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित भू. पू.सै. के
-----------------------------------	----	---------	----------	--------------------------------	--------------	--------	-------------------------

अन्य पिछड़ा वर्ग

10	श्री पवन कुमार / श्री रेवा राम	पु.	अपिव	अंग्रेजी	शाउमावि कुरालटेमली, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
11	श्री तिलक राम / श्री पवन कुमार	पु.	अपिव	अंग्रेजी	शाउमावि लोहत्तर, वि. ख.दुर्गकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
12	श्री यादराम पटेल / कंसीराम	पु.	अपिव	अंग्रेजी	शाउमावि आमाकड़ा, वि.ख.दुर्गकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
13	भूमिका साहू / श्री नरेन्द्र कुमार साहू	म.	अपिव	अंग्रेजी	शाउमावि उसेली, वि. ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव म.
14	श्री सुनिल कुमार देवांगन / श्री फागुराम देवांगन	पु.	अपिव	अंग्रेजी	हाई स्कूल पी.व्ही.53, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव भू.पू.सै के विरुद्ध

अजा

15	श्री अनिल कुमार दीपक / श्री बल्लू दीपक	पु.	अजा	अंग्रेजी	शाउमावि भेजा, वि.ख. भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजा मु.
----	--	-----	-----	----------	-----------------------------------	--------------	--------	---------

अजजा

16	हेमलता / श्री तिलोचन प्रसाद	म.	अजजा.	अंग्रेजी	हाई स्कूल हटकाचारामा, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
17	सुरेश कुमार नागवंशी / ललित कुमार	पु.	अजजा.	अंग्रेजी	शाउमावि हाटकरा, वि. ख.भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
18	चुणामणी मांझी / श्री अमृत लाल	पु.	अजजा.	अंग्रेजी	शाउमावि कोण्डे, वि. ख.दुर्गकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
19	माधुरी ठाकुर / श्री डी. आर.ठाकुर	म.	अजजा.	अंग्रेजी	हाई स्कूल अमोड़ी, वि. ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
20	सरोज बीसी / श्री जगदीश प्रसाद बीसी	म.	अजजा.	अंग्रेजी	हाई स्कूल कलगांव, वि. ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
21	टिकेशरी कश्यप / श्री छबिलाल कश्यप	म.	अजजा.	अंग्रेजी	शाउमावि बड़गांव, वि. ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
22	नीलम एक्का / आनंद एक्का	म.	अजजा.	अंग्रेजी	शाउमावि मायापुर, वि. ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
23	श्री गोपाल राम / जय राम	पु.	अजजा.	अंग्रेजी	हाई स्कूल आमाकोट, वि.ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
24	श्री देवेन्द्र सिंह मांझी / श्री रहिपाल सिंह मांढी	पु.	अजजा.	अंग्रेजी	शाउमावि भैसासुर, वि. ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
25	श्री टीकम सिंह ध्रुव / श्री भगवान सिंह ध्रुव	पु.	अजजा.	अंग्रेजी	शाउमावि परतापुर, वि. ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा

25
13.12.14

26	वित्तरेखा ध्रुव / बिहारी लाल ध्रुव	म.	अजजा.	अंग्रेजी	हाई स्कूल चांदीपुर, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.नहीं	अजजा म.
27	श्री टिकेश्वर / श्री सोमलाल	पु.	अजजा.	अंग्रेजी	शाउमावि संगम, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.नहीं	अजजा
28	पूर्णमा कश्यप / नंदकुमार कश्यप	म.	अजजा.	अंग्रेजी	हाई स्कूल उदनपुर, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.नहीं	अजजा
29	अंकिता नाग / श्री रमाशंकर नाग	म.	अजजा.	अंग्रेजी	हाई स्कूल हांकेर, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा
30	श्री कपिल प्रधान / रामकृष्ण प्रधान	पु.	अजजा.	अंग्रेजी	हाई स्कूल सुलगी, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा
31	आंकाक्षा लेकाम / श्री एम. आर. लेकाम	म.	अजजा.	अंग्रेजी	हाई स्कूल चारगांव, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा
32	श्री हरीश कुमार पैकरा / श्री मनीराम	पु.	अजजा.	अंग्रेजी	हाई स्कूल रेंगावाही, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा भू. पू.सै. पद के विरुद्ध
33	कुलेश्वरी / श्री तिहारुराम	म.	अजजा.	अंग्रेजी	हाई स्कूल कौड़ोसालहेभाट, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा भू. पू.सै. पद के विरुद्ध

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

- नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की जाति एवं प्रवर्ग से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र अजा/ अजजा/ पिवर्ग/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक होने के समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संबंधित संस्था एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
- नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 29 में मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं माना जावेगा।
- संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा नियुक्ति से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाण पत्र एवं जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य है। यदि प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा अन्य जानकारी गलत पाये जाने पर बिना सूचना के उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) यथा स्थिति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के अन्तर्गत बने नियमों के अधीन नियम 10 के अन्तर्गत जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे।
- नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में पदांकित शाला में अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना होगा। किन्तु किसी भी स्थिति में पदांकित शाला के विरुद्ध परिवर्तन एवं अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
- व्याख्याता (पंचायत) के कार्य एवं आचरण का आकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उनके कार्य/आचरण का आकलन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि की समय सीमा 05 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। फिर भी संबंधित की सेवाएं संतोषजनक नहीं पायी गयी तो सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- नियुक्ति व्याख्याता (पंचायत) की सेवाएं या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।

13.12.17

- नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) का पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया नियमानुसार संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित व्याख्याता पंचायत से अनुप्रमाणन फार्म भरवाकर कराया जावेगा। पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर संबंधित व्याख्याता (पंचायत) की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा ऐसे व्याख्याता (पंचायत) के द्वारा प्राप्त वेतन भत्ते की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जावेगी।
9. व्याख्याता (पंचायत) की ऊपर वर्णित सेवा शर्तों से भिन्न की शर्तें यथा स्थिति जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तों के समान ही होगी।
 10. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के संबंध में यदि यह जानकारी प्रमाणित होती है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 एवं विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करता है तो, उसकी सेवा बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
 11. नियुक्त व्याख्याता (पंचा.) जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उक्त शिक्षाकर्म की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
 12. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर द्वारा जारी भर्ती नियम 2012 की कंडिका 05 के प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण उसी प्रवर्ग के वरियता क्रम से उम्मीदवार चयनित किये गये हैं।
 13. चयनित दिव्यांग उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड कांकेर से 01 माह के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।
 14. नियमानुसार नियुक्ति हेतु जारी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
 15. इस नियुक्ति आदेश के सरल क्रमांक 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 के चयनित व्याख्याता (पंचायत) को नियुक्ति आदेश दिनांक से तीन वर्ष के भीतर बी.एड.उपाधि प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। अथवा छ.ग.शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2012 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत उम्मीदवार को दिनांक 26.12.2017 तक पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयवधि के पश्चात उपस्थिति मान्य नहीं होगी तथा स्वमेव नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत
 उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)


क्रमांक/3020/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17

कांकेर, दिनांक 13/12/20

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, पंचायत, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ।
7. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
8. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
9. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त छ.ग. छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
11. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
12. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना भानुप्रतापपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
13. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

- जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
15. जिला सेनानी, सैनिक कल्याण बोर्ड जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
 16. आयुक्त दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़, जिला पंचायत परिसर, दूर्ग छ0ग0
 17. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
 18. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला कार्यालय जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आनलाईन अपलोड करने हेतु ।
 19. जिला जनसंपर्क अधिकारी, को सूचनार्थ । कृपया समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित कराने हेतु ।
 20. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकोदल/भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
 21. सर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी आदिवासी विकास खण्ड कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकोदल/ भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।
 22. प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूलजिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा संस्था में शिक्षा पंचायत संवर्ग के भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति के संबंध में जानकारी संबंधित विभाग/जिला प्रमुख एवं इस कार्यालय को अवगत करावें ।
 23. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को देने के पश्चात् पदांकित शाला में उपस्थिति देंगे ।
 24. गार्ड फाईल (कार्यालयीन स्थापना शाखा) जिला पंचायत कांकेर ।
 25. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।


 13.12.17
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत
 उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

--0 आदेश 0--

क्रमांक/13031/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17 कांकेर, दिनांक 13/12/2017

आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय 36 सी. ब्लाक - 2द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / पंचा./ शिक्षा/ 2017/287 नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों पर, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंचावि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के पालन में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन पश्चात प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं दावा आपत्ति निराकरण के आधार पर तैयार मेरीट सूची अनुसार छानबीन समिति की अनुसंशा एवं सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन पश्चात अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों एवं अन्य वांछित अभिलेखों के सत्यापन उपरांत प्रक्रिया अनुसार अंतिम चयन सूची जारी की गई। विषयवार आरक्षण रोस्टर अनुसार चयनित अभ्यर्थी को व्याख्याता (पंचायत) के पद पर कॉलम नम्बर 09 में उल्लेखित प्रवर्ग से कॉलम नम्बर 05 में अंकित विषय के लिये कॉलम नम्बर 06 में दर्शित विद्यालय तथा कॉलम नम्बर 07 में अंकित विभाग के अन्तर्गत प्रतिमाह वेतनमान 5300-150-8300 तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्तों जो देय हों, अधोअंकित शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	अभ्यर्थियों के नाम	लिंग (म./पु.)	वर्ग जाति	विषय	पदस्थापना शाला का नाम	विभाग	बी.एड.	आरक्षण प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अनारक्षित								
1	श्री शिखर चन्द वर्मा / श्री टेश्वर कुमार वर्मा	पु.	अपिव	भूगोल	शाउमावि जेपरा, वि. ख.चारामा	आजाकवि	बी.एड.	अनारक्षित
अजजा								
2	श्री धर्मेन्द्र कुमार / श्री खोरबहारा राम	पु.	अजजा	भूगोल	शाउमावि अभनपुर, वि.ख.नरहरपुर	आजाकवि	बी.एड.	अजजा मु.
3	सरिता नाग/श्री बल्दूराम नाग	म.	अजजा	भूगोल	शाउमावि चंदेली वि. ख.चारामा	आजाकवि	बी.एड.	अजजा म.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

- नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की जाति एवं प्रवर्ग से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र अजा/ अजजा/ पिवर्ग/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक होने के समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संबंधित संस्था एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

21/12/17

2. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 29 में मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं माना जावेगा।
3. संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को 50 रूपये का स्टाम्प पेपर में खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा नियुक्ति से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाण पत्र एवं जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य है। यदि प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा अन्य जानकारी गलत पाये जाने पर बिना सूचना के उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
4. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) यथा स्थिति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम 2012 के

अन्तर्गत बने नियमों के अधीन नियम 10 के अन्तर्गत जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे।

5. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में पदांकित शाला में अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना होगा। किन्तु किसी भी स्थिति में पदांकित शाला के विरुद्ध परिवर्तन एवं अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
6. व्याख्याता (पंचायत) के कार्य एवं आचरण का आकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उनके कार्य/आचरण का आंकलन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि की समय सीमा 05 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। फिर भी संबंधित की सेवाएं संतोषजनक नहीं पायी गयी तो सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
7. नियुक्ति व्याख्याता (पंचायत) की सेवाएं या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
8. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) का पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया नियमानुसार संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित व्याख्याता पंचायत से अनुप्रमाणन फार्म भरवाकर कराया जावेगा। पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर संबंधित व्याख्याता (पंचायत) की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा ऐसे व्याख्याता (पंचायत) के द्वारा प्राप्त वेतन भत्ते की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जावेगी।
9. व्याख्याता (पंचायत) की ऊपर वर्णित सेवा शर्तों से भिन्न की शर्तें यथा स्थिति जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तों के समान ही होगी।
10. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के संबंध में यदि यह जानकारी प्रमाणित होती है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम 2012 एवं विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करता है तो, उसकी सेवा बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
11. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उक्त शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर द्वारा जारी भर्ती नियम 2012 की कंडिका 05 के प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण उसी प्रवर्ग के वरियता क्रम से उम्मीदवार चयनित किये गये हैं।
13. चयनित दिव्यांग उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड कांकेर से 01 माह के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।
14. नियमानुसार नियुक्ति हेतु जारी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
15. इस नियुक्ति आदेश के सरल क्रमांक के चयनित व्याख्याता (पंचायत) को नियुक्ति आदेश दिनांक से तीन वर्ष के भीतर बी.एड.उपाधि प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। अथवा छ.ग.शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2012 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

200
13.12.17

नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत उम्मीदवार को दिनांक .12.2017 तक पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
समयावधि के पश्चात उपस्थिति मान्य नहीं होगी तथा स्वमेव नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

13.12.17

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

गांक/13032/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17

कांकेर, दिनांक 13/12/2017

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय , महानदी भवन नया रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ ।
3. संचालक, पंचायत, संचालनालय , इंद्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
6. मिशन संचालक,राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ ।
7. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
8. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
9. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त छ.ग. छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
11. सर्व अनुविभागीय अधिकारी,(रा.) कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
12. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना भानुप्रतापपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
13. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
15. जिला सेनानी, सैनिक कल्याण बोर्ड जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
16. आयुक्त दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़, जिला पंचायत परिसर, दूर्ग छ0ग0
17. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
18. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला कार्यालय जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आनलाईन अपलोड करने हेतु ।
19. जिला जनसंपर्क अधिकारी, को सूचनार्थ। कृपया समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित कराने हेतु।
20. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकोदल/भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
21. सर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी आदिवासी विकास खण्ड कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकोदल/ भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।

22. प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूलजिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा संस्था में शिक्षा पंचायत संवर्ग के भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति के संबंध में जानकारी संबंधित विभाग/जिला प्रमुख एवं इस कार्यालय को अवगत करावें ।

23. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी को सूचनार्थ एवं

पालनार्थ । अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को देने के पश्चात पदांकित शाला में उपस्थिति देंगे ।

24. गार्ड फाईल (कार्यालयीन स्थापना शाखा) जिला पंचायत कांकेर ।

25. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

13.12.17
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

--0 आदेश 0--

क्रमांक/ 13023/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17 कांकेर,

दिनांक 13/12/2017

आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय 36 सी. ब्लाक - 2द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / पंचा./ शिक्षा/ 2017/287 नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों पर, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के पालन में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन पश्चात प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं दावा आपत्ति निराकरण के आधार पर तैयार मेरीट सूची अनुसार छानबीन समिति की अनुसंधान एवं सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन पश्चात अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों एवं अन्य वांछित अभिलेखों के सत्यापन उपरांत प्रक्रिया अनुसार अंतिम चयन सूची जारी की गई। विषयवार आरक्षण रोस्टर अनुसार चयनित अभ्यर्थी को व्याख्याता (पंचायत) के पद पर कॉलम नम्बर 09 में उल्लेखित प्रवर्ग से कॉलम नम्बर 05 में अंकित विषय के लिये कॉलम नम्बर 06 में दर्शित विद्यालय तथा कॉलम नम्बर 07 में अंकित विभाग के अन्तर्गत प्रतिमाह वेतनमान 5300-150-8300 तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्तें जो देय हो, अधोअंकित शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	अभ्यर्थियों के नाम	लिंग (म.)	वर्ग जाति	विषय	पदस्थापना शाला का नाम	विभाग	बी.एड.	आरक्षण प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अनारक्षित								
1	श्री त्रिनाथ प्रसाद साहू / श्री चैतराम साहू	पु.	अपिव	वाणिज्य	शाउमावि पुरी, वि.ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
2	श्री गोपाल / श्रीखेदूराम	पु.	अपिव	वाणिज्य	शाउमावि तारसगांव, वि. ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
3	श्री हरीश कुमार / श्री नामदेव	पु.	अपिव	वाणिज्य	शाउमावि कोटतरा, वि. ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
4	श्री थानेश्वर कुमार / श्री रामहू लाल	पु.	अपिव	वाणिज्य	शाउमावि आंवरी, वि.ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित
5	निलम अवधिया / अमर अवधिया	म.	अपिव	वाणिज्य	शाउमावि कुरुटोला, वि. ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.
6	हेमलता वर्मा / श्री आर.डी. वर्मा	म.	अपिव	वाणिज्य	शाउमावि लिलेझर, वि. ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.
7	पिकेश्वरी / कृष्ण कुमार	म.	अपिव	वाणिज्य	शाउमावि शाहवाड़ा, वि.ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म.
8	श्री मोहित कुमार साहू / नारायण राम साहू	पु.	अपिव	वाणिज्य	शाउमावि सिंगारभाट, वि.ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अनारक्षित दिव्यांग प्रावधिक

13/12/17

9	श्री कमलेश कुमार / श्री टेकन प्रसाद	पु.	सामान्य	वाणिज्य	शाउमावि आतुरगांव, वि. ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित भू.पू.सै. पद के विरुद्ध
अन्य पिछड़ा वर्ग								
10	श्री प्रवीण कुमार पटेल / श्री लेखनू प्रसाद पटेल	पु.	अपिव	वाणिज्य	शाउमावि कन्हारपुरी, वि. ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
11	श्री बालचन्द्र देवांगन / श्री रामअवतार देवांगन	पु.	अपिव	वाणिज्य	शाउमावि दुधावा, वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
12	श्री हुबलाल / श्री विष्णुराम	पु.	अपिव	वाणिज्य	शाउमावि भानवेड़ा, वि. ख.भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
13	श्री किरण कुमार साहू / श्री पी.सी. साहू	पु.	अपिव	वाणिज्य	शाउमावि आमाकड़ा, वि. ख.दुर्गुकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
14	चैताली साहू / श्री सीताराम साहू	म.	अपिव	वाणिज्य	शाउमावि बड़गांव, वि. ख.कोयलीवेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव म.
अनुसूचित जाति								
15	श्री टीकम खरे / श्री बुधराम खरे	पु.	अजा.	वाणिज्य	शाउमावि पोटागांव, वि. ख.कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजा
अनुसूचित जनजाति								
16	साबियो मिंज / रूपसिंह मिंज	पु.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि ढुमाली, वि.ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
17	प्रिती सलाम / श्री लालबहादूर सलाम	म.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि बासनवाही, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
18	श्री कुलेश्वर प्रसाद पैकरा / श्री रामसिंह पैकरा	पु.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि उमरादाह, वि. ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
19	श्री राजेन्द्र कुमार / अकबाल	पु.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि जामगांव, वि. ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
20	श्री इन्द्रजीत सिंह मरकाम / सुफेन्द्र सिंह मरकाम	पु.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि देवीनवागांव, वि.ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
21	ममता माकड़े / श्री सोमचन्द्र माकड़े	म.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि देवगांव, वि. ख.नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
22	श्री झाडूराम बैना / श्री वैदराम बैना	पु.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि संबलपुर, वि. ख.भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
23	बबीता कंवर / श्री गंगाराम कंवर	म.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि साल्हे, वि.ख. भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
24	चित्ररेखा तारम / तुलसीराम तारम	म.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि हाटकोदल, वि. ख.दुर्गुकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
25	हेमेश्वरी किरेन्द्र / गंगाराम किरेन्द्र	म.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि कोण्डे, वि. ख.दुर्गुकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
26	सुषमा कंवर / कपुर सिंह	म.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि लोहत्तर, वि. ख.दुर्गुकोदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा म.
27	प्रियंका गर्वना / श्री मोती लाल गर्वना	म.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि कोलर, वि.ख. अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा

21/12/17

28	टिकेश्वर हिड़को / विष्णुराम हिड़को	पु.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि भैसासुर, वि. ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा
29	पुनम खरे / गोपाल खरे	म.	अजजा	वाणिज्य	शाउमावि बोंदानार, वि. ख.अंतागढ	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा
30	हेमपुष्पा / श्री तुलसीराम	म.	अजजा.	वाणिज्य	शाउमावि परतापुर वि. ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा
31	श्री दिनेश कुमार / श्री गोपाल सिंह	पु.	अजजा.	वाणिज्य	शाउमावि माटोली, वि. ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा भू.पू.सै. पद के विरुद्ध
32	जेंडर मिज/मार्शल मिंज	पु.	अजजा.	वाणिज्य	शाउमावि छोटेबेटिया, वि.ख.कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा भू.पू.सै. पद के विरुद्ध

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की जाति एवं प्रवर्ग से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र अजा/ अजजा/ पिवर्ग/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक होने के समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संबंधित संस्था एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
2. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 29 में मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं माना जावेगा।
3. संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा नियुक्ति से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाण पत्र एवं जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य है। यदि प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा अन्य जानकारी गलत पाये जाने पर बिना सूचना के उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
4. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) यथा स्थिति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के अन्तर्गत बने नियमों के अधीन नियम 10 के अन्तर्गत जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे।
5. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में पदांकित शाला में अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना होगा। किन्तु किसी भी स्थिति में पदांकित शाला के विरुद्ध परिवर्तन एवं अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
6. व्याख्याता (पंचायत) के कार्य एवं आचरण का आकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उनके कार्य/आचरण का आकलन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि की समय सीमा 05 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। फिर भी संबंधित की सेवाएं संतोषजनक नहीं पायी गयी तो सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
7. नियुक्ति व्याख्याता (पंचायत) की सेवाएं या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
8. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) का पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया नियमानुसार संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित व्याख्याता पंचायत से अनुप्रमाणन फार्म भरवाकर कराया जावेगा। पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर संबंधित व्याख्याता (पंचायत) की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा ऐसे व्याख्याता (पंचायत) के द्वारा प्राप्त वेतन भत्ते की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जावेगी।

8/11/17
13/12/17

9. व्याख्याता (पंचायत) की ऊपर वर्णित सेवा शर्तों से भिन्न की शर्तें यथा स्थिति जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तों के समान ही होगी ।
10. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के संबंध में यदि यह जानकारी प्रमाणित होती है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 एवं विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करता है तो, उसकी सेवा बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।
11. नियुक्त व्याख्याता (पंचा.) जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उक्त शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर द्वारा जारी भर्ती नियम 2012 की कंडिका 05 के प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण उसी प्रवर्ग के वरियता क्रम से उम्मीदवार चयनित किये गये हैं।
13. चयनित दिव्यांग उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड कांकेर से 01 माह के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।
14. नियमानुसार नियुक्ति हेतु जारी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
15. इस नियुक्ति आदेश के सरल क्रमांक 8,28,29,30,31,32..... के चयनित व्याख्याता (पंचायत) को नियुक्ति आदेश दिनांक से तीन वर्ष के भीतर बी.एड.उपाधि प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। अथवा छ.ग.शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2012 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत उम्मीदवार को दिनांक 26-12-2017 तक पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि के पश्चात उपस्थिति मान्य नहीं होगी तथा स्वमेव नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

दिनांक
13-12-17

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)


कांकेर, दिनांक 13/12/2017

.क्रमांक/13024/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2016-17

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय , महानदी भवन नया रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ ।
3. संचालक, पंचायत, संचालनालय , इंद्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
6. मिशन संचालक,राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ ।
7. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
8. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
9. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त छ.ग. छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
11. सर्व अनुविभागीय अधिकारी,(रा.) कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
12. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना भानुप्रतापपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
13. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
15. जिला सेनानी, सैनिक कल्याण बोर्ड जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
16. आयुक्त दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़, जिला पंचायत परिसर, दूर 0ग0

17. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
18. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला कार्यालय जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आनलाईन अपलोड करने हेतु ।
19. जिला जनसंपर्क अधिकारी, को सूचनार्थ । कृपया समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु ।
20. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकोदल/भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
21. सर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी आदिवासी विकास खण्ड कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकोदल/ भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।
22. प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूलजिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा संस्था में शिक्षा पंचायत संवर्ग के भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति के संबंध में जानकारी संबंधित विभाग/जिला प्रमुख एवं इस कार्यालय को अवगत करावें ।
23. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को देने के पश्चात पदांकित शाला में उपस्थिति देंगे ।
24. गार्ड फाईल (कार्यालयीन स्थापना शाखा) जिला पंचायत कांकेर ।
25. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत
 उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)